

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018

IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018

अनुसूची I – फॉर्म जे
(विनियम 10 देखें)
Schedule I – Form J
(See Regulation 10)

पंजीकरण प्रमाणपत्र

Certificate of Registration

पंजीकरण संख्या: 607

Registration No: 607

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा एडिफाय इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन प्रत्यक्ष (जीवन एवं साधारण) बीमा दलाल के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण के द्वारा लगाई गई शर्तों और आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के उपबंधों के अधीन होगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन तब तक प्रचलन में होगा जब तक प्राधिकरण द्वारा इसे निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a certificate of registration to **EDIFY INSURANCE BROKERS PRIVATE LIMITED** to act as **Direct (Life & General)** Insurance broker under the Act.

The certificate of registration shall be subject to conditions imposed by the Authority and the provisions of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018. The certificate of Registration shall remain in force subject to payment of annual fee, until it is suspended or cancelled by the Authority.



आदेशानुसार / By Order

स्थान / Place : हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक / Date : 10 जुलाई, 2026 / 10-July-2026

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

For and on behalf of Insurance Regulatory
and Development Authority of India